

17/1/22

पता भी पेश हुई। P.O सा दोरे/पत्र
बंद में बंद रहने के कारण को
भी जो जा सकी। पत्रावली दिनांक
21/02/22 का पत्र हो।

21/2/22 पत्रावली पेश हुई। तापी एवं अत्राणी सरग्या 2 की
और से वलीलानी (विनीवामी टापी) अत्राणी
सरग्या 2 की तापील सम्मयक कप से एवं उकी/विषया
आज दिनांक तक उपस्थित नहीं होने की सूचना अत्राणी
सरग्या 1 के विकस एक तरफा कार्यवाही अमल में
लागी जाती है। पत्रावली वाले पत्राव/वद्वेष्ट
31/3/22 का पेश है।

Be
उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)

31/3/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वाले पत्राव/वद्वेष्ट
दिनांक 7/4/22 का पेश है।

Be
उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)

7/4/22 पत्रावली पेश हुई। वलील प्राणी एवं वलील अत्राणी
सरग्या 2 उपस्थित उभयपक्ष वकुलाम से मर्णाफा
आश्रायी निर्वेद्या/शर पर वद्वेष्ट सुनी गई उभयपक्ष
वकुलाम के द्वारा की गई वद्वेष्ट का न्यायलय लाजा
के द्वारा बगौर भजन किया गया। सारा ही पत्रावली एवं
पत्रावली पर मौजूद रिपोर्ट का सापेक्षानी पुर्ण अपकीर्ण
किर्णाने पश्चात वाद वद्वेष्ट आराजी रपरा न० 567
रपरा न० 24। रपरा न० 564 वद्वेष्ट वाकिवाम ग्राम
बस्ती अं. अं. ल. वि० क्षेत्र बस्ती गदलील बस्ती जिला
जयपुर वद्वेष्ट वाद वद्वेष्ट आराजी के सम्मयक के उभयपक्षों

Be
उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

नारायण लाल

बनाम

रेवड

32/2021

प्रा.पञ - 212

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>को केवल वाद के विस्तारण तक चलेगा आरंभिकता के अंके की प्रकाशित करार रखने हेतु पावन्द किया जातो है वद ग्रस्य अमीना आबाजी पर काबता के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया जावेगी! पत्रावली फिलहाल क्षुभाट होकर पूर्व नम्बर से कम होने पर दाखिल पत्रतर ही</p> <p>निर्णय आज दिनांक 7/4/22 को 4 रकूले न्यायालय एवं श्री वजलास सुनाया गया</p> <p style="text-align: right;">(36) उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)</p>	